

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों में निम्नानुसार कॉलम संख्या 05 के अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.स.	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	आदेश दिनांक एवं आदेश में क्र.सं.	वांछित संशोधन जो किया जाना है
1	2	3	4	5
1	श्रीमती आशा शर्मा, खडव (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	01.12.2020 (क्र.सं. 03)	स्थाईकरण आदेश में इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में पदस्थापन स्थान राजमावि खादाव (जयपुर) के स्थान पर खडव (जयपुर) एवं कॉलम संख्या 09 में स्थाईकरण एवं नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की तिथि 30-08-2020 के स्थान पर 30-07-2020 संशोधित पढ़ा जावें।
2	श्रीमती अम्यु सिंह मीणा, सायला (जालौर)	भौतिक विज्ञान	19.11.2020 (क्र.सं. 01)	असाधारण/अवैतनिक अवकाश स्वीकृति आदेश में इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में लिये गये अवकाश की अवधि 10.07.20 से 15.07.17 तक (08 दिन) के स्थान पर 10.07.2020 से 15.07.2020 तक (06 दिन) संशोधित पढ़ी जावें।
3.	श्री कौशल किशोर जीनगर, स्वामी विवे. रा. मॉडल स्कूल, गंगरार (चित्तौडगढ़)	भौतिक विज्ञान	01.12.2020 (क्र.सं. 11)	स्थाईकरण आदेश में कॉलम संख्या 05 में इनका नाम कौशल कुमार जीनगर के स्थान पर कौशल किशोर जीनगर संशोधित पढ़ा जावें।
4.	श्री गिराज सिंह, चाकसू (जयपुर)	भौतिक विज्ञान	04.03.2020 (क्र.सं. 11)	सेवानिवृत्ति आदेश में कॉलम संख्या 05 में इनका नाम गिरिराज सिंह के स्थान पर गिराज सिंह संशोधित पढ़ा जावें।
5.	श्री संदीप कुमार जागिड, राजपुरा (राजसमन्द)	भौतिक विज्ञान	01.12.2020 (क्र.सं. 12)	स्थाईकरण आदेश में इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में पदस्थापन स्थान राजमावि राजपुरा (जयपुर) के स्थान पर राजपुरा (राजसमन्द) संशोधित पढ़ा जावें।

शेष आदेश यथावत।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/भौगक/संशोधन/2020-21/395

दिनांक: 1/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित सभाग मुख्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल-शिक्षा)
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/
4. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)